डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

(1). **कुलपति,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(2). **निदेशक,**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). **समस्त विभागाध्यक्षगण,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(4). **विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(5). **डॉ0 संजीव गुप्ता,**
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(6). **श्री आशीष कुमार गुप्ता,**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक :1268/पत्रा.सं0–568(द्वि0)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि0परि0/2020–21 दिनांकः 06 नवम्बर, 2020

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 15वीं बैठक दिनांकः 20 अक्टूबर, 2020 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 15वीं बैठक दिनाँकः 20 अक्टूबर, 2020 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

s/c

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के मा0 विद्या परिषद की

15वीं बैठक दिनाँकः 20 अक्टूबर, 2020 का कार्यवृत्त

समय–	पूर्वाहन् 12:00 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 15वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/15	**मा0 विद्या परिषद की चौदहवीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांकः 23 मई, 2020 का कार्यवृत्त पत्रांकः 283/पत्रा.सं0–568/डीएसएमएनआरयू/वि.परि./2020–21, दिनांकः 15 जून, 2020 द्वारा मा0 विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों को प्रेषित किया गया था जिसकी पुष्टी प्रदान की गयी।
2/15	**मा0 विद्या परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 23 मई, 2020 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 23 मई, 2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/15	विश्वविद्यालय में "University Post Doctoral Fellowship (UPDF) for Post-Doctoral Research in Sciences" तथा विशेष शिक्षा संकायान्तर्गत "University Junior Research Fellowship (UJRF) for Innovative Research in the area of Rehabilitation Studies and Inclusive Education" कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– विश्वविद्यालय शोध कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से भौतिकी विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में University Post Doctoral Fellowship (UPDF) for Post-Doctoral Research in Sciences" तथा विशेष शिक्षा संकायान्तर्गत University Junior Research Fellowship (UJRF) for Innovative Research in the area of Rehabilitation Studies and InclusiveEducation" 27 पृष्ठीय कार्ययोजना जिसके अन्तर्गत पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिप एवं जूनियर रिसर्च फैलोशिप की अर्हताओं, सेवा शर्ते, अपेक्षित शोध

(अमित कुमार)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर.वी.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा

	परिणाम, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के पर्यवेक्षकों के संबंध में मा0 विद्या परिषद की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइड लाइन को आधार मानते हुए शीघ्र ही आर्डिनेन्स बनाया जाए।
4/15	**विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज के गठन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय प्रदान किया गया कि बोर्ड ऑफ स्टडीज के गठन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमावली के आधार पर सुसंगत प्रस्ताव को सुव्यवस्थित तरीके से भविष्य में प्रस्तुत किया जाए।
5/15	**कोविड–19 वैश्विक महामारी के संकट के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र–2019–20 की परीक्षाओं के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– कोविड–19 वैश्विक महामारी के संकट के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र–2019–20 की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर निष्पादित कार्यवाही पर मा0 विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/15	**विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त दिव्यांग सीटों के सापेक्ष Open Seats पर विद्यार्थियों का प्रवेश लिए सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– (क) विश्वविद्यालय में आहूत मा0 विद्या परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षित सीटों के रिक्तता के दृष्टिगत इन सीटों पर सकलांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने के सन्दर्भ में समयक विचारोपरान्त निर्णय प्रदान किया गया कि प्रत्यके पाठ्यक्रम में दिव्यांग जन हेतु आरक्षित सीटों में से दिव्यांग विद्यार्थियों के आवेदनों के अनुपलब्धता की स्थिति में दिव्यांग जन हेतु आरक्षित सीटों की रिक्तता के दृष्टिगत प्रत्यके पाठ्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु 02 सीट आरक्षित रखते हुए शेष अन्य सीटों पर उनके–उनके वर्ग के अनुसार (गैर दिव्यांग) विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया, मा0 विद्या परिषद द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश लेने हेतु आवश्यक रूप से कम से कम 02 बार सूचित करते हुए अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही आरक्षित श्रेणी की सीटों पर गैर–दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया जाए। **(ख)** प्रवेश निदेशक द्वारा मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि कतिपय

(अमित कुमार सिंह)

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों की तुलना में आवेदन कम प्राप्त हुए हैं अथवा काउन्सिलिंग में अपेक्षाकृत कम विद्यार्थी प्रवेश हेतु उपलब्ध हो रहे हैं ऐसे में बी0वी0ए, बी0एड (विशेष शिक्षा) तथा बी0 काम, एल0एल0बी0 में आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता है, जिस पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्लू0एस0) श्रेणी में आरक्षण सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यगण को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।	

(अमित कुमार)

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ